

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कुण्डहित

आदेश फलक

निलाम पत्र वाद संख्या - 222 / 2015-16

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14-12-20	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी जामताड़ा जें पत्रांक- 82/ जि० नौ० दिनांक- 28.11.2017 द्वारा निलाम पत्र दायर करने हेतु सूची प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार श्री/ श्रीमती/ सुश्री <u>गीपाल लीदार</u> पिता/पति <u>मुरली लीदार</u> ग्राम <u>कुण्डहित</u> थाना <u>कुण्डहित</u> जिला <u>जामताड़ा</u> द्वारा बैंक से 27.760/- रुपया लिया गया है। ऋण वसूली हेतु देनदार को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक <u>28/12/20</u> को उपस्थापित करें <u>14/12/2020</u> नौ० पत्र पदा०	

21/12

P70



आदेश का क्र. रजि. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28.05.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अदालत से स्पष्ट है कि काफी दिनों से अभिलेख में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। नीलाम पत्र सकी समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए संबंधित शाखा प्रबंधक से बाद में सम्बन्धित राशि की अद्यतन वसूली / सामंजित राशि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग करें। अगली तिथि दिनांक- 23.06.25 को रखें। लेखापति।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	
23.06.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में अग्रेतर कार्यवाही के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक- 406 / रा. दिनांक- 30.05.2025 द्वारा संबंधित बैंक को बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए अद्यतन वसूली / सामंजित राशि तत्परचात बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक <u>कुण्डहित</u> द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाद सं. 222/15-16 के देनदार श्री / सुमी / श्रीमती <u>गोपाल लोहार</u> सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कर दी गई है। अतः देनदार द्वारा बाद में सम्बन्धित राशि जमा कर दिये जाने तथा शाखा प्रबंधक- <u>कुण्डहित</u> द्वारा समर्पित बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) के आलोक में इस बाद की कार्यवाही <u>समाप्त</u> की जाती है। पंजी X में भी इन्द्राज करें। लेखापति।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	